

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:-

काल सिपा २-९- पायला २५

प्रकरण सं:- ८९/२०१८

क्रमांक:-लो.अदा./२०१८/१५५०

दिनांक:- ११.६.२०१८

आदेश

वादी के वाद पत्र एवं पटवारी पांभला खूद व मू.अ.नि. पांभला कंला की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम १९५५ की धारा ८४ के अनुसरण में ग्राम भलखाड़ी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् २०७१-७५ में खाता संख्या ३५ में वर्तमान में अशुद्ध प्रविष्टि चनगराम पुत्र छोणाराम के स्थान पर चनगराम पुत्र छोणाराम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी
दिनांक:- ११/०६/२०१८

क्रमांक:-लो.अदा./२०१८/१४२१-१४२३

प्रतिलिपि:-

१. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामेंद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
२. प्रार्थी श्री चनगराम पुत्र छोणाराम निवासी भलखाड़ी तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
३. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी